दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 16 जून,2015 को पूर्वाहन 10:00 बजे,राज निवास दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविन्दर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.
4. श्री अभय सिन्हा,
   अभियंता सदस्य , दि. वि. प्रा.
5. श्री विजेंद्र गुप्ता,विधायक
6. श्री सतीश उपाध्याय
   निगम पार्षद, एस डी एम सी
7. डॉ (श्रीमती)रजनी अब्बी
   निगम पार्षद, एन डी एम सी

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि. वि. प्रा.

विशिष्ट आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

1. श्री के के शर्मा
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्री एस. सी. एल. दास
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव

3. श्रीमती स्वाति शर्मा
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

4. श्री आर एन शर्मा,
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

5. डॉ. सिमी मल्होत्रा,
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की सलाहकार (मीडिया, अकादमिक,कला, संस्कृति एवं भाषा)

6. श्री अजय चौधरी
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी

7. श्री जे.पी.अग्रवाल
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं सी डब्ल्यू जी), दि.वि.प्रा.

8. श्री अमित यादव
   आयुक्त पूर्वी दिल्ली नगर निगम

9. श्री प्रवीन गुप्ता
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

10. श्री आर के जैन
    आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

11. श्री एम. के. गुप्ता
    आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.

12. श्री अनिल कुमार शर्मा
    मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.

13. श्री डी.पी.सिंह
    मुख्य अभियंता (द्वारका)

14. श्री शमशेर सिंह
    मुख्य नगर योजनाकार, एसडीएमसी एवं एनडीएमसी

15. श्री पी.एस. उत्तरवार
    अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

16. श्री विनोद साकले
    अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

17. श्री एस पी पाठक
    अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

18. श्री अमित कुमार दास
अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

19. श्रीमती सविता भंडारी
अपर आयुक्त (भूदृश्य), दि.वि.प्रा.

20. श्री. आर. श्रीनिवास
टाउन एवं कंट्री प्लानर, टी सी पी ओ

21. श्री कमल जोशी
निदेशक (भूमि लागत), दि.वि.प्रा.

22. श्री एस. बी. खोडंकर
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

23. श्री एच के भारती
निदेशक (योजना) यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

24. श्री राजेश कुमार जैन
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

25. श्रीमती पारोमिता राय
उपनिदेशक (योजना) यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

26. श्री नीमोधर, सलाहकार (पी आर), दि.वि.प्रा.

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी नए सदस्यों, वशिष्ट आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद संख्या.70/2015

दिनांक 24.04.2015 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2015/एम सी/डी डी ए

i) सेक्टर ए-7, नरेला में "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस 1-अस्पताल)" से "परिवहन (डिपो-बस)" के लिए 19980 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन के संबंध में मद संख्या 52/2015 में निहित प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.04.2015 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था और यह भी निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण को अपनी अगली बैठक में नरेला में एक अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि के

विवरण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसके बदले में भूमि उपयोग का परिवर्तन किया गया था और क्लस्टर बस डिपो के लिए भूमि उपयोग को मंजूरी दी गई थी।

ii) प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि भूमि उपयोग को "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस 1-अस्पताल)" से "परिवहन (डिपो-बस)" में बदलने के लिए प्रस्तावित भूमि मुकदमे के अधीन है औरडब्ल्यूपी (सी) में आदेश 4115/2003 और सीएम संख्या 18141/2014के अनुसार,माननीय उच्च न्यायालय,दिल्ली ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2015 में निर्देश दिया है कि उप-भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही को व्यपगत माना गया है।दि. वि. प्रा. ने इस मामले में एसएलपी दायर की है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि मद संख्या 52/2015 के तहत अनुमोदित भूमि उपयोग के परिवर्तन को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के तहत आगे संशोधित नहीं किया जा सकता है।

iii) 24.4.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की यथापरिचालित पुष्टि की गई।

मद संख्या 71/2015

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 01.04.2015 को राज निवास में आयोजित की गई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2015/एमसी/डीडीए

i) मद संख्या 40/2015 पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में गलत उल्लेख किया गया है, "कुछ संशोधनों को अनुमोदित कार्यसूची में शामिल किया जाना है। कार्रवाई की जा रही है"। इसको हटाने की जरूरत है।

ii) प्राधिकरण की दिनांक 1.4.2015 को हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया गया।

मद संख्या 72/2015

सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन।

एफ.5(17)2012/पी एंड सी(पी)

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। हालांकि, प्रस्तावित संशोधन के पैरा (ए) (ii) को "ग्रेड पे 4600/- रुपये" के बजाय " 4800/-रुपये " के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

मद संख्या 73/2015

माया पुरी चौक पर पॉकेट 1 (680 वर्गमीटर) और पॉकेट -2 (6560.10 वर्ग मीटर) के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक (पी2-जिला पार्क)' से 'परिवहन (टी3 एमआरटीएस सर्कुलेशन)' में मुकुंदपुर, यमुना विहार कॉरिडोर, जोन-जी में दिल्ली एम आर टी एस, फेज-III की 7 लाइन के निर्माण हेतु परिवर्तन।

एफ.20(5)2014/एमपी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 74/2015

औद्योगिक क्षेत्र रोहिणी- फेज-V से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन डी एम सी) में कुल 22.46 हेक्टेयर भूमि/क्षेत्रफल, जो तीन साइटों अर्थात 2.42 हेक्टेयर की साइट सं. 1-2, 13.45 हेक्टेयर की साइट सं. 1-8 और 6.59 हेक्टेयर की साइट सं. 1-10 में विभाजित है, के भूमि उपयोग में 'औद्योगिक' से उपयोगिता (यू-4), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में परिवर्तन।

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

मद संख्या 75/2015

दि. वि. प्रा. द्वारा द्वारका उपनगर की जलापूर्ति और सीवरेज सेवाएं डीजेबी को सौंपना।

एफ. सी ई (द्वारका)26(19)/15/डी जे बी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 76/2015

1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक प्रभावी फ्लैटों की मानक लागत – कुरसी क्षेत्रफल निर्माण की दरें।

एफ 24(1671)2001/एच ए सी/पार्ट II

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 77/2015

मौजूदा अतिथि गृहों (गेस्ट हाउस)के संबंध में दि. मु. यो.-2021 में पहले से स्वीकृत प्रस्ताव में संशोधन।

एफ.20(17)2013-एमपी/पार्ट I

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 78/2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नरेला के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआरएस) का निर्धारण।

एफ.4(45)2014/एओ(पी)/डीडीए

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 79/2015

एमपीडी-2021 के अध्याय 19.0 में संशोधन।

एफ.3(53)/2003-एमपी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था:

1) शब्द 'भौतिक अवसंरचना' जैसा कि कॉलम सी पैरा 2.0 (3) (iv) में उल्लिखित है, दिल्ली मुख्य योजना 2021, अध्याय 14.0 में परिभाषा के अनुसार होना चाहिए जिसमें पानी, गरीबी, सीवरेज, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं,जो पूर्वोक्त दि. मु. यो.-2021 के अध्याय 13.0 में दी गई सामाजिक आधारभूत संरचना की परिभाषा से अलग है।
2) पैरा 2.0(3), 19.6 (iv): विकास नियंत्रण मानकों को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए,"उस भूमि के स्वामी जिसका आकार 2 हेक्टेयर से कम है, और जो भूमि किसी विशेष क्षेत्र में सड़कों, उपयोगिताओं/भौतिक आधारिक संरचना जैसेपानी सीवरेज, जल निकासी, बिजली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विकास के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के संबंध में हस्तांतरणीय विकास अधिकार150 एफएआर की दर से जारी करने के लिए विचार किया जा सकता है और उसमें सभी अधिकार भूमि पूलिंग एजेंसी को सौंपे जाते हैं। विकास अधिकार हस्तांतरण (टीडीआर) के अनुसार एफ ए आर केवल उसी डी ई को हस्तांतरणीय हैं, जिनके पास उसी जोन में 2 हेक्टेयर से कम नहीं फाइनल प्लॉट पर अनुमोदन/लाइसेंस है जिसमें भूमि स्थित है।
3) 3.0 (सी) पर प्रस्ताव को "पैरा 19.7 (ii) के प्रावधान को का. आ. संख्या 3006 (ई) दिनांक 28.11.2014 के तहत जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार रखा जाएगा" के रूप में पढ़ा जा सकता है।

4) मुख्य सचिव, रा. रा क्षेत्र दिल्ली सरकारने देखा कि लैंड पूलिंग नीति के तहत लिए जाने वाले क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन आदि जैसे सामाजिक आधारिक संरचना को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी। ये सेवाएं दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है।उन्होंने बताया कि ऐसे कई उद्देश्यों के लिए दिल्ली सरकार को भूमि आवंटित करने के लिए दि. वि. प्रा. की भूमि दरें उच्च स्तर पर हैं और प्राधिकरण से लोगों की जरूरतों पर विचार करने और सामाजिक आधारिक संरचना की नई और उभरती जरूरतों का जवाब देने का आग्रह किया।

<u>मद संख्या 80/2015</u>

एमपीडी-2021 के एलडीआरए प्रावधानों में संशोधन/संशोधन और मौजूदा फार्म हाउसों के नियमितीकरण के लिए विनियम।

एफ.3(103)96/एमपी

माननीय उपराज्यपाल ने कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र में एक एकड़ प्लॉट पर अनुमत आवासीय इकाइयों (डीयूएस) की संख्या के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र को देखना चाहा। चूंकि, योजना विभाग के अधिकारियों के पास पत्र उपलब्ध नहीं था, प्राधिकरण ने माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि. वि. प्रा.को संबंधित फाइल पर संशोधन, यदि कोई हो, के साथ एजेंडा मद को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया।

मद संख्या 81/2015

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.5.2015 को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत अधिसूचित की जाने वाली भूमि नीति के संचालन के लिए विनियम।

एफ.15(6)2012-एमपी/पार्ट.II

i) कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था:

पैरा 2.3 (1), 19.6 (iv) (विनियमों के 6 xi): विकास नियंत्रण मानक को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए

"एक भूस्वामी, जिसकी भूमि का आकार 2 हेक्टेयर से कम है और जो भूमि सड़कों, उपयोगिताओं/भौतिक आधारिक संरचनाजैसे पानी, सीवरेज, जल निकासी, बिजली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विकास के लिए एक विशेष क्षेत्र में आवश्यक है, के संबंध में 150 एफएआर की दर से हस्तांतरणीय विकास अधिकार जारी करने के लिए विचार किया जा सकता है और उसमें सभी अधिकार पूरी तरह से लैंड पूलिंग एजेंसी को सौंप दिए जाते हैं। विकास अधिकारों के हस्तांतरण (टीडीआर) के अनुसार एफएआर केवल अनुमोदन/लाइसेंस रखने वाले आवासीय इकाई को हस्तांतरणीय होगा। जिसके पास कम से कम 2 हेक्टेयर का प्लॉट उसी क्षेत्र के आवासीय पॉकेट में हो,जिसमें ऐसी भूमि स्थित है।"

ii) पैरा 19.7 (i) के प्रावधानों को का.आ.संख्या 3006 (ई) दिनांक 28.11.2014द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार बनाए रखा जाएगा अर्थात्

"एक ही योजना क्षेत्र में भूमि पूलिंग के लिए आगे आने वाले खंडित भूमि के मामले में, भूमि की उपलब्धता के अधीन उसी क्षेत्र के भीतर सबसे बड़ी भूमि के आसपास के क्षेत्र में भूमि वापस कर दी जाएगी, जिसमें भूमि की उपलब्धता पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। बशर्ते सभी खंडित भूमि जोत एक क्षेत्र के भीतर 5 किलोमीटर के दायरे में हों।"

iii) विनियमों के 6 xi के पैरा (ए) से (ई) की शेष विषय - वस्तुएजेंडा मद के अनुलग्नक "सी" के अनुसार समान रहेगी।

मद संख्या 82/2015

लेक व्यू कॉम्प्लेक्स के लिए डीडीए और एनबीसीसी के बीच मानक मसौदा समझौता ज्ञापन: टीओडी मानदंडों के आधार पर त्रिलोकपुरी में लगभग 10.26 हेक्टेयर दि. वि. प्रा भूमि के विकास के लिए एकीकृत योजना।

एफ.3(90)/98-एम पी /वॉल.II/पार्ट-I

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 83/2015

उप-जिला केंद्र, हरि नगर के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर को अस्पताल के बेड्स के विस्तार के लिए 3.5 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए लेआउट योजना में संशोधन और प्राधिकरण से विशेष अनुमति के मामले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 'उप' खंड 8(2) के तहत - एमपीडी-2021 के उपयोग जोनों में उपयोग परिसर की अनुमति।
एफ.13(01)/2015-एमपी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 84/2015
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रस्तावित साइकिल शेयरिंग नीति।
एफ .10(28)2012/यूटिपेक

एजेंडा मद में निहित नीति प्रस्ताव को निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधनों के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था:

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी स्थानीय निकायों और सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों को डीएमआरसी, डीटीसी, परिवहन आदि जैसी हितधारक एजेंसियों की उचित भागीदारी के साथ साइकिल साझाकरण नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii) विशिष्ट राजस्व मॉडल का चुनाव संबंधित निष्पादन एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए और दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता के विचारों के आधार पर विशिष्ट परियोजना पर निर्भर करेगा।

iii) एनएमटी लेन और साइकिल शेयरिंग योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन दि. वि. प्रा. द्वारा अपने सभी विकास / परियोजनाओं और लैंड पूलिंग क्षेत्रों में स्थापना चरण से ही किया जाना चाहिए, एनएमटी लेन को सभी नई / रेट्रोफिटिंग सड़क परियोजनाओं के भीतर सर्वोच्च प्राथमिकता पर विकसित किया जाना चाहिए। अधिमानतः, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क के कारण एजेंसियों द्वारा सभी नई सड़कों के लिए मेन कैरिजवे से पहले ही साइकिल लेन विकसित की जानी चाहिए।

iv) 2012 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार साइकिल शेयरिंग टूलकिट (एजेंडा में संदर्भित) को ऐसी परियोजनाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुसरण किया जा सकता है।

v) गलत तरीके से मुद्रित पैरा 3.7 और 3.8 की संख्या को 3.2 और 3.3 के रूप में सही किया जाना है।

vi) पैरा 3.6.4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाना है (**बोल्ड** में जोडा गया)।

"साइकिल साझा करने के संचालन के लिए एक डिपो स्थान की आवश्यकता होगी, जिसमें लगभग 40 वर्ग मीटर की इनडोर ऑफिस स्पेस 20 वर्ग मीटर की इनडोर मीटिंग स्पेस, 500 वर्ग मीटर प्रति 200 साइकिल क्षेत्र की साइकिलों के भंडारण के लिए संलग्न स्थान, कवर साइकिल मरम्मत शामिल है लगभग 300 वर्ग मीटर की जगह और कम से कम 3-5 पुनर्वितरण वाहनों की पार्किंग के लिए जगह होगी। डिपो में सभी साइकिल मरम्मत सुविधाएं हैं जो आवश्यक हैं।स्थान मानक जगह से भिन्न हो सकते हैं"।

मद संख्या 85/2015

क्षति एवं दुरूपयोग प्रभारों के संबंध में दुरूपयोग/क्षमा योजना के संबंध में नीति की समीक्षा।

एफ.6(23)2014/एओ(पी)/डीडीए

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 86/2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन शुल्क की गणना के उद्देश्य से दरों का निर्धारण।

एफ.2(34)99/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट.

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 87/2015

पुस्तकालय कैडर के भर्ती विनियमन में संशोधन।

एफ.1(विविध)08/आरआर/लाइब्रेरी/2014

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 88/2015

दि. वि. प्रा. में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन।

एफ.7(140)2010/पीबी-I

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 89/2015

सर्वेक्षण संवर्ग में विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन।

एफडी/मिस./11/आरआर/सर्वे/2013

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****